

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-FP/UP/Others/33985/2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7- परियोजना/स्कीम का स्थान-</p> <p>(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र</p> <p>(II) जिला</p> <p>(III) वन प्रभाग</p> <p>(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)</p> <p>(V) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(VI) हरियाली का घनत्व</p> <p>(VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)</p> <p>सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)</p> <p>(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी</p> <p>(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी</p> <p>(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)।</p> <p>(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।</p> <p>(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।</p> <p>8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।</p> <p>9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।</p> | <p>जनपद हरदोई के अन्तर्गत विन्ध्या टेलीलिक लि०, द्वारा हरदोई-पिहानी मार्ग कि०मी० 3.00 से कि०मी०-25.00 के मध्य कुल 22.00 कि०मी० की दूरी में क्षेत्रफल 0.2279 हे० संरक्षित वन भूमि में ओ०एफ०सी० लाइन बिछाये जाने की अनुमति।</p> <p>उत्तर प्रदेश।</p> <p>हरदोई।</p> <p>सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, हरदोई</p> <p>0.2279 हे०</p> <p>संरक्षित वन (मार्ग पटरी) स्वामित्व लो०नि०वि०।</p> <p>0.3 औसत</p> <p>किसी वृक्ष की क्षति नहीं हो रही है।</p> <p>भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।</p> <p>शून्य</p> <p>नहीं।</p> <p>नहीं।</p> <p>नहीं।</p> <p>हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।</p> <p>नहीं।</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

1-प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर।

2- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

3-रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, क्रियान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

4-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

5-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)

12-विभाग/जिला प्रोफाइल

1. जिले का भौगोलिक क्षेत्र

2. जिले का वन क्षेत्र

3.मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

4. 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख)वनेतर भूमि पर

5.तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेतर भूमि पर

13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

तिथि: 26-12-2020

स्थान-हरदोई

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/ 165 /2019-FC, दिनांक-27-07-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में वॉछित नहीं है (पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-15-16 में संलग्न हैं)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/ 165 /2019-FC, दिनांक-27-07-2020 के क्रम में वॉछित नहीं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/ 165 /2019-FC, दिनांक-27-07-2020 के क्रम में वॉछित नहीं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/ 165 /2019-FC, दिनांक-27-07-2020 के क्रम में वॉछित नहीं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-FC-11/ 165 /2019-FC, दिनांक-27-07-2020 के क्रम में वॉछित नहीं।

प्रस्ताव की पृष्ठ सं0-25 पर संलग्न हैं।

5989 वर्ग कि०मी०

119.62 वर्ग कि०मी०

स्वीकृत मामलों की संख्या-40 क्षेत्र-34.6080 हे०।

1.0 हे०

शून्य

388.047 हे०

3283.544 हे०।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।

(व०के०आनन्द)

प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग,

हरदोई।

**प्रभागीय निदेशक**

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई